UPMZ010077742026

न्यायालय Addl. Distt. and Sess. Court No-1, Muzaffarnagar

पीठासीन अधिकारी– (Sri Vishnu Chandra Vaish), (उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP06126

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–3158 सन् 2026

कय्यूम ुपत्र अय्यूब उर्फ छोटा,
निवासी मौहल्ला खातियान,
कस्बा व थाना झिंझाना, जिला शामली (मुजफ्फरनगर)।

.....आवेदक/अभियुक्त।

प्रति

उत्तर प्रदेश राज्य

.....अभियोजन पक्ष।

अपराध संख्या–224 सन् 2001
धारा–363, 366 भा0दं0सं0।
थाना–कैराना, जिला–मुजफ्फरनगर। (हाल जिला शामली)

17.06.2026

1. आवेदक/अभियुक्त **कय्यूम पुत्र अय्यूब उर्फ छोटा** की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र उपरोक्त के संबंध में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2. समर्थन में आवेदक/अभियुक्त के पैरोकार मौ0 आरिफ द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. संक्षेप में वादी मुकदमा अनवार द्वारा थाने पर दी गयी तहरीर के अनुसार कथानक इस प्रकार है कि वाका दिनांक 21.07.2001 की सुबह 5 बजे का है। उसने देखा कि उसकी पोती चांदबीबी घर में नहीं है। उसने इधर–उधर तलाश किया तो उसको हाजी मजीद व बुजी तेली ने बताया कि हमने 20/21.07.2001 की मध्य रात्रि में करीब 12 बजे सरफराज, गय्यूर, कय्यूम पुत्रगण अय्यूब उर्फ छोटा, तुफैल पुत्र इब्राहिम निवासीगण मौहल्ला खातियान कस्बा झिंझाना को उसकी पोती चांदबीबी को ले जाते हुए देखा है। उसकी पोती चांदबीबी को उपरोक्त सरफराज आदि बहला–फुसलाकर जबरदस्ती ले गये हैं। मुलजिम सरफराज का रिश्ता 3 माह पूर्व उसके घर वाले वादी की पोती चांदबीबी से करना चाहते थे। वादी ने सरफराज के बदमाश प्रवृत्ति होने

Digitally signed by VISHNU CHANDRA VAISH
Date: 2026.06.17 15:55:27 IST
Reason: SESSION BAIL
Location: ADJ COURT NO. 1, MZN

के कारण मना कर दिया था, इसलिए सरफराज आदि वादी से रंजिश रखते हैं। वादी व उसके घर वाले चांदबीबी को इधर–उधर तलाश करते रहे, उसका कोई पता नहीं चला। अतः वादी द्वारा रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्यवाही किए जाने की याचना की गयी।

4. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त कतई बेगुनाह है। ऐसा कोई अपराध नहीं किया जैसा कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित है। आवेदक/अभियुक्त को मुकदमा उपरोक्त में कस्बे की चुनावी पार्टीबाजी के आधार पर कतई झूठा एवं फर्जी फंसाया गया है। घटना के समय कथित पीडिता चांद बीबी की उम्र 22 वर्ष थी, जो अपनी मर्जी से सहअभियुक्त सरफराज के साथ शादी के उद्देश्य से घर से चली गयी थी तथा दोनों ने शादी कर ली थी। जो आज भी सहअभियुक्त सरफराज के साथ वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रही है। पीडिता चांद बीबी व सहअभियुक्त सरफराज का रिश्ता परिवारजनों ने तय कर दिया था। इस कारण से दोनों आपस में प्रेम वार्तालाप करने लगे थे तथा एक दूसरे को पसन्द करने लगे थे। किन्तु कुछ समय बाद दोनों परिवारों के बीच किसी बात को लेकर मतभेद हो गये तथाकथित पीडिता के परिवारजनों ने रिश्ता समाप्त कर दिया था। इसलिए पीडिता के सरफराज के साथ जाने पर पीडिता के परिवार वालों ने उपरोक्त मुकदमा गलत तथ्यों के आधार पर सहअभियुक्त सरफराज का भाई होने के कारण आवेदक/अभियुक्त को झूठा नामजद कर झूठा मुकदमा पंजीकृत कराया है। आवेदक/अभियुक्त का उपरोक्त घटना से कोई मतलब वास्ता नहीं है तथा दौरान विवेचना मुकदमा उपरोक्त में आवेदक/अभियुक्त द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट सं0–5426 सन् 2001 दायर की जिसमें माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने आवेदक/अभियुक्त व सहअभियुक्तगण की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। बाद विवेचना विवेचक द्वारा न्यायालय में आरोप प्रेषित किया गया, जिसकी जानकारी आवेदक/अभियुक्त को नहीं हो पायी और विचारण न्यायालय द्वारा मुकदमा उपरोक्त में कार्यवाही करते हुए आवेदक/अभियुक्त के विरूद्व एन०बी०डब्लू० वारण्ट जारी कर दिये गये। जिसके आधार पर थाना हाजा पुलिस द्वारा आवेदक/अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जिस कारण विचारण माननीय न्यायालय द्वारा आवेदक/अभियुक्त का धारा–309 सीआर०पी०सी० का वारण्ट बनाकर दिनांक–08.06.2026 को जेल भेज दिया। दौरान विवेचना कथित पीडिता चांदबीबी का धारा–161 सीआर०पी०सी० व धारा–164 सीआर०पी०सी० के बयान विवेचक महोदय द्वारा दर्ज नहीं कराये गये, जिस कारण न्यायालय में प्रेषित किया गया आवेदक/अभियुक्त के विरूद्व आरोप पत्र न्याय संगत नहीं है। आवेदक/अभियुक्त ने जमानत पर रिहा होने के बाद माननीय न्यायालय में हाजिर होने में किसी प्रकार की कोई कोताही जानबूझकर नहीं की है और न

ही जमानत पर रिहा होने के बाद भविष्य में कोई कोताही करेगा। अतः उसे दौरान वाद जमानत पर रिहा किया जाए।

5. अभियोजन की ओर से उपस्थित विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता दांडिक की ओर से जमानत का विरोध किया गया तथा तर्क दिया गया कि अभियुक्त द्वारा गम्भीर प्रकृति का अपराध किया गया है। उसकी घटना कारित करने में सक्रिय भूमिका है। अतः जमानत निरस्त करने की मांग की गयी।

6. उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों को सुना तथा संबंधित पत्रावली का परिशीलन किया गया।

7. पत्रावली के परिशीलन से परिलक्षित होता है कि प्रस्तुत प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्त पर अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी की पोती पीड़िता को बहला–फुसलाकर घर से ले जाने का आरोप है। अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित है। अभिलेख पर उपलब्ध पीड़िता के शपथ पत्र के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि उसका एवं सहअभियुक्त सरफराज का रिश्ता पूर्व में परिवारजनों द्वारा तय किया गया था तथा दोनों एक–दूसरे को पसंद करते थे, किन्तु पारिवारिक मतभेद उत्पन्न हो जाने के कारण वह अपनी इच्छा एवं स्वेच्छा से सहअभियुक्त सरफराज के साथ गयी तथा उसके साथ निकाह कर लिया। शपथ पत्र में यह भी स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि उसे अभियुक्त कय्यूम अथवा अन्य सहअभियुक्तगण बहला–फुसलाकर या जबरदस्ती नहीं ले गये थे तथा विवेचना के दौरान उसका कोई बयान भी अंकित नहीं किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में विवेचक द्वारा विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र सक्षम न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है तथा विचारण पूर्ण होने में पर्याप्त समय व्यतीत होने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। अभियोजन की ओर से अभियुक्त का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं बताया गया है। अभियुक्त दिनांक 08.06.2026 से जिला कारागार में निरुद्ध है।

8. अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए बिना गुण–दोष पर कोई विचार व्यक्त किए अभियुक्त की जमानत का पर्याप्त आधार है। अतः अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किए जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त **कय्यूम** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त को उसके द्वारा अंकन **50,000–50,000/–** (पचास हजार रूपये– पचास हजार रूपए) का व्यक्तिगत बंधपत्र व इसी धनराशि के दो विश्वसनीय प्रतिभू निष्पादित करने पर, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर निम्नलिखित शर्तों पर जमानत पर रिहा किया जाए–

1. आवेदक/अभियुक्त जमानत पर छूटने के बाद पुनः कोई अपराध कारित नहीं करेगा।
2. आवेदक/अभियुक्त के आधार कार्ड या स्थाई निवास प्रमाण पत्र की सत्य प्रति दाखिल की जायेगी।
3. आवेदक/अभियुक्त जमानत पर रिहा होने के बाद आरोप विरचित किये जाने के समय, साक्ष्य अभिलिखित किये जाने के समय व बी.एन.एस.एस. की धारा 351 के कथनों को अंकित किये जाने के समय कोई स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं करेगा तथा आरोप विरचित किये जाने के समय व बी.एन.एस.एस. की धारा 351 के कथनों के समय व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा तथा शेष अन्य तिथियों पर नियमित रूप से व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा और उनके बिना किसी यथोचित कारण के अनुपस्थित रहने पर विचारण न्यायालय उसके विरूद्व धारा 269 बी.एन.एस. के अंतर्गत कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र होगा।
4. आवेदक/अभियुक्त विचारण के शीघ्र निस्तारण में पूर्ण सहयोग करेगा।

उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर सक्षम न्यायालय, आवेदक/अभियुक्त की जमानत निरस्त किये जाने हेतु स्वतंत्र होगा।

(विष्णु चन्द्र वैश्य)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट संख्या 1, मुजफ्फरनगर।

दिनांक–17.06.2026